विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-13/2023

मेसर्स संध्या पैकेजिंग, — **आवेदक**
प्रो0 श्रीमती संध्या अग्रवाल,
970, माणक चौक,
महू (म0प्र0) – 453441

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, — **अनावेदक**
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
गुजरखेड़ा वितरण केन्द्र,
अम्बेडकर नगर, महू (म0प्र0) – 453441

आदेश

(दिनांक 29.12.2023 को पारित)

01. आवेदक – मेसर्स संध्या पैकेजिंग, प्रो0 श्रीमती संध्या अग्रवाल, 970, माणक चौक, महू (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक – निल से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0 543923 आदेश दिनांक 19.06.2023 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 21.11.2023 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–13/2023 पर दर्ज की गई है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

शिकायत का विवरण निम्नानुसार है :–
संयोजन के मिनिमम बिल राशि मे छूट प्रदान करने बाबद्।

महोदय उपरोक्त संदर्भ मे माननीय विधुत शिकायत निवारण फोरम मे प्रकरण क्रमांक 543923 मे दर्ज कर आदेश दिनांक 19/6/23 को जारी किया गया है। माननीय फोरम के द्वारा दिये गये आदेश पीड़ित/दुखी होकर माननीय विधुत लोकपाल महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत है।

प्रकरण के मुख्य तथ्य निम्नानुसार हैः–

1. हमारे द्वारा संध्या पेकेजिग के नाम से 100 एच.पी संविदा मांग 49.82 किलोवाट का ओधोगिक संयोजन लिया गया है। उपरोक्त संयोजन लेते समय प्रतिवादी/अनावेदक के तीन विधुत कार्यालय क्रमशः (1) म.प्र.वि.वि.क. गुजरखेडा वितरण केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत किया गया, आवेदन के साथ विधुत कम्पनी द्वारा मांगे गये समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । (2) गुजरखेडा वितरण केन्द्र द्वारा प्रकरण स्वीकृत हेतु उच्च कार्यालय कार्यपालन यंत्री महू को प्रेषित किये गये है। कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा विधुत संयोजन की स्वीकृती हेतु अधीक्षण यंत्री कार्यालय (ग्रामीण) इंदौर को भेजी गयी है। (3) अधीक्षण यंत्री कार्यालय के द्वारा विधुत संयोजन को स्वीकृत करने के बाद सांहयक यंत्री कार्यालय गुजरखेडा द्वारां नियमानुसार सुरक्षा निधी एवं सप्लाय अफोर्डिग शुल्क जमा कराने की एडवाईस दी गयी, शुल्क भरने के बाद संयोजन दिया गया ।
2. अनावेदक गुजरखेडा वितरण केन्द्र कार्यालय द्वारा पर्यावरण विभाग के कारण बताओ सूचना पत्र के आधार पर हमे 15 दिवस का सूचना पत्र देकर 15 दिवस मे पर्यावरण की अनुमति प्रस्तुत करने का कहा गया ।
3. 15 दिवस मे पर्यावरण विभाग की अनुमति नही प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा विधुत संयोजन अस्थायी रूप से काट दिया गया ।

<u>अपील के मुख्य तर्क जिस पर माननीय फोरम के द्वारा ध्यान नही दिया गया :–</u>

1. अनावेदक द्वारा स्वयं ही परिपत्र क्रमांक/प.क्षे./प्रनि/05/वाणिज्य/71 दिनांक 13/02/17 के माध्यम से म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता को शिथिल किया गया है। अतः संयोजन लेते समय जो दस्तावेज आवश्यक ही नही था, अतः आवेदक जिन दस्तावेजो की आवश्कता नही उसे केसे ओर क्यो देता ।
2. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा वादी/आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है उसकी प्रतिलिपी अनावेदक के अधीक्षण यंत्री ग्रामीण कार्यालय को दी गयी थी, उसमे अनावेदक के अधीक्षण यंत्री कार्यालय को अग्रेषित कर लेख लिखा था कि आप बिना प्रदूषण विभाग की अनुमति के संयोजन दे देते है जिसे की उधोग कही भी स्थापित हो जाते है, आम नागरिको को परेशानी होती है। कारण बताओ सूचना पत्र के अग्रेषित लेख मे भी कही भी संयोजन काटने का उल्लेख नही किया गया, बल्कि अनावेदक द्वारा म.प्र. प्रदूषण विभाग की अनुमति के बिना संयोजन देने पर ? खडा किया गया है।
3. वादी के द्वारा 15 दिवस के सूचना पत्र का विधीवत उत्तर प्रतिवादी को देने के बाद भी प्रतिवादी द्वारा 15 दिवस के बाद बिना सूचना के विधुत प्रदाय अस्थायी रूप से काट दिया गया, जो कि गलत था, उस पर भी माननीय फोरम के द्वारा ध्यान नही दिया गया है।

4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उधोग का अनुमति देने मिनिमम अवधि 60 दिवस / उससे अधिक होने के बावजूद अनावेदक द्वारा 15 दिवस के सूचना पत्र पर अनुमति की मॉग की गयी, अतः वादी उस अनुमति को जिसकी अनुमति देने की अवधि ही 60 दिवस है उस अनुमति को 15 दिवस मे लकार केसे दे सकता है। इस पर भी माननीय फोरम ने ध्यान नही दिया गया है।
5. परिवादी द्वारा दिनांक 19/7/2022 को प्रदूषण विभाग की अनुमति देने के बाद तुरन्त संयोजन नही जोडा गया ? इस पर भी माननीय फारेम ने ध्यान नही दिया गया ।
6. अनावेदक द्वारा म.प्र. प्रदूषण विभाग को पत्र क्रमांक 226 दिनांक 22/7/2022 लिखा गया जिसकी प्रतिलिपी आवेदक/वादी को दी गयी है, लेकिन विपक्ष द्वारा उपरोक्त पत्र म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा या नही उससे संबंधित प्रमाणित दस्तावेज मॉगने के बाद भी विपक्ष द्वारा माननीय फोरम मे प्रस्तुत नही किये गये, उस पर भी माननीय फोरम ने घ्यान नही दिया है ।
7. आवेदक/वादी द्वारा माननीय फोरम मे म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अन्य उपभोक्ता को जारी किये गये पत्र की कापी प्रस्तुत कि गयी है जिनमे म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनावेदक को बिजली संयोजन काटने के आदेश का स्पष्ट उल्लेख किया है। जबकि हमे प्रदूषण विभाग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था न कि संयोजन काटने के आदेश दिये गये थे । माननीय फोरम के द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के संलग्न पत्र पर भी ध्यान नही दिया गया है, जिसमें संयोजन काटने के स्पष्ट आदेश है।
8. माननीय आयोग द्वारा आयोग द्वारा विधिक प्रवाधान मे म.प्र.विधुत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका का उल्लेख किया गया है, एवं बताया गया है कि शासन अथवा विधुत निरीक्षक के निर्देशो से विच्छेदित किया जाता है तो विधुत प्रदाय का पुनर्सयोजन अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को स्थाई /न्युनतम प्रभारो का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा ।

आवेदक /वादी की ओर से फोरम द्वारा प्रस्तुत आदेश पर आपत्ति :–

1. जब संयोजन विधुत प्रदाय संहिता 2021 के पुर्व लिया गया है तो इस पर विधुत प्रदाय संहिता 2021 केसे लागू होगी ।
2. जब अनावेदक द्वारा स्वयं ही म.प्र.प्रदूषण विभाग की अनुमति को शिथिल किया गया हो तो उसे प्रस्तुत करने का दायित्व वादी पर नही है।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनावेदक/ प्रतिवादी को आवेदक/वादी को दिये गये कारण बताओ सूचना पत्र की प्रतिलिपी दी गयी है न कि संयोजन काटने के आदेश दिये गये थे ।

4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयोजन काटने का आदेश देता तो उसमे संयोजन काटने का स्पष्ट उल्लेख किया होता जैसा कि वादी द्वारा माननीय फोरम मे प्रस्तुत सलग्न क्रमांक 6 जो कि म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र जो अन्य उपभोक्ता को जारी किया गया पत्र है जिसकि प्रतिलिपी क्रमांक 3 प्रतिवादी के अन्य संमबंधित वितरण केन्द्र को प्रेषित कर उसमे तत्काल प्रभाव से संयोजन काटने का उल्लेख किया गया है। इस पर भी माननीय फोरम ने ध्यान नही दिया गया है।

माननीय लोकपाल से प्रार्थना है किः–

1 माननीय फोरम का आदेश निरस्त कर, अस्थायी रूप से काटे गये संयोजन की अवधि के मिनिमम बिल राशि को निरस्त की जावे, एवं उसे वादी के अगामी बिलो मे समायोजित किये जावे।

2 अनावेदक द्वारा नियम विरूद्व तरीके से काटे गये संयोजन के कारण वादी/आवेदक को लगभग रू. 500000/पांच लाख का नुकसान हुआ है, वह भी अनावेदक से दिलाया जावें ।

इसी के साथ अपील स्वीकार करने का सादर निवेदन है।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–13/2023 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 20.12.2023 को नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 20.12.2023 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से सुश्री प्रीति मारकम, असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) तथा श्री प्रेम सिंह कामेश, जूनियर इंजीनियर उपस्थित हुए ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्रीमती प्रीति मारकम, असिस्टेंट मैनेजर द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया, **जो निम्नानुसार है :–**

उपरोक्त विषय में अवगत कराने में आता है की है कि, उपभोक्ता मेसर्स संध्या पैकेजिंग, प्रो. श्रीमति संध्या अग्रवाल, किशनगंज द्वारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से बिना एनओसी लिये उधोग संचालित करने पर प्रदुषण विभाग द्वारा मेसर्स संध्या पैकेजिंग को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था जिसका पत्र क्रमांक. **614**/तक.शा. /**22**/ इन्दौर / दिनांक **03.03.2022** है। तत्पश्चात कार्यालय कार्यपालन यंत्री म०प्र०प०क्षे०वि०वि०क०लि० संसं संभाग महू द्वारा उक्त उपभोक्ता को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से एन०ओ०सी० लेकर कार्यालय में जमा करने हेतु **15** दिवस का नोटिस दिया गया था, नोटिस प्राप्ति के **15** दिवस बाद भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेकर कार्यालय में जमा नही करने पर इस कार्यालय द्वारा कनेक्शन अस्थाई विच्छेदित किया गया था | जिस बाबद उपभोक्ता का इस कार्यालय के पत्र क्रमांक **516**/दिनांक **09.05.22** के माध्यम से भी संयोजन अस्थाई विच्छेदित कर देने की सूचना दी गई थी।

उक्त प्रक्रिया करने के बाद मेसर्स संध्या पैकेजिंग किशनगंज द्वारा **19.07.2022** को गुजरखेडा वितरण केन्द्र की मेल आईडी **jegujarkhrda@gmail.com** पर प्रदूषण कंट्रोल विभाग का **CONSENT ORDER (NOC)** प्राप्त हुआ है जिसकी प्रति उक्त कार्यालय द्वारा कार्यपालन यंत्री संस

संभाग महु को प्रेषित कि गयी । जिसका पत्र कमांक **551** दिनांक **19.07.2022** है। तत्पश्चात् दिनांक 19/07/22 को ही संयोजन पुनः जोडकर विधुत प्रदाय चालु कर दिया गया था ।

चूंकि मेसर्स संध्या पैकेजिंग किशनगंज द्वारा प्रदुषण कंट्रोल बोर्ड से परमीशन न लेकर अस्थाई विच्छेदित विधुत कनेक्शन की समय अवधि में लगा नियत प्रभार को वेवऑफ / माफ करने की मांग की गई है। प्रकरण में गहन अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त परिवादी/उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन लेने के दौरान म०प्र० प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से एनओसी नही लिया गया था जिससे म.प्र. प्रदुषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। उक्त परिवादी/उपभोक्ता द्वारा मेसर्स संध्या पकेजिंग के नाम से नवीन कनेक्शन लेने के दौरान पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी नही दिये जाने से प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की आपत्ति के आधार पर विभागीय कार्यवाही में उक्त कनेक्शन को अस्थाई विच्छेदित किया गया था । जिसमें उपभोक्ता की ओर से प्रदूषण बोर्ड से एनओसी न लेकर लापरवाही पाई गई है। व उपभोक्ता द्वारा समय सीमा में उक्त बोर्ड से एनओसी लेकर विभाग में एनओसी उपलब्ध नही कराये जाने से गंभीर लापरवाही कर दोषी पाये जाने के कारण विभाग द्वारा कनेक्शन अस्थाई विच्छेदित किया गया था। सामान्यतः प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की एनओसी नहीं मांगी जाती है यदि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा ऑब्जेक्शन लिया जाता है तत्पशयात ही एनओसी कनेक्शन के दोरान मांगी जाती है ।

अतः उपभोक्ता द्वारा एनओसी उपलब्ध नही कराये जाने के कारण अस्थाई विच्छेदित समय अवधि में लिया गया नियत प्रभार माफ किया जाना संभव नही है। उपभोक्ता की मांग आधारहीन है। यह प्रकरण प्रदुषण कन्ट्रोल बोर्ड से संबंधित है, जिनकी आपत्ति पर ही विधुत संयोजन विच्छेदित किया गया था।

अतः प्रकरण में संपूर्ण विवरण आपकी ओर सादर प्रस्तुत है व साथ ही अनुरोध है की उक्त आधार पर प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का कष्ट करे ।

प्रकरण के संबंध में अनावेदक के मौखिक कथन निम्नानुसार है :–

01. आवेदक अपीलार्थी को औद्योगिक उपयोग हेतु दिनांक 02.02.2020 को नवीन कनेक्शन प्रदाय किया गया ।

02. सामान्यतः नया कनेक्शन देते समय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की एन0ओ0सी0 नहीं मांगी जाती है ।

03. प्रकरण विशेष में मेसर्स संध्या पैकेजिंग के संबंध में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से नोटिस प्राप्त हुआ था, साथ ही ग्रामीणों से भी शिकायत प्राप्त हुई थी ।

04. नोटिस एवं शिकायत प्राप्त होने पर अपीलार्थी को एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का नोटिस जारी किया था, जिसे लेने से उपभोक्ता ने इन्कार कर दिया, उसके उपरांत पुनः भेजकर पावती प्राप्त की थी ।

05. नोटिस की अवधि समाप्त होने तक प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से एन0ओ0सी0 प्रस्तुत नहीं करने के कारण उपभोक्ता का कनेक्शन दिनांक 09.05.2022 को विच्छेदित कर दिया गया था ।

06. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से एन0ओ0सी0 प्राप्त होने पर दिनांक 19.07.2022 को पुनः कनेक्शन जोड़कर चालू कर दिया गया था ।

09. की गई कार्यवाही नियमानुसार सही है, अतः उपभोक्ता की अपील निरस्त की जाए ।

चूंकि आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, अतः प्रकरण पर आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

अतः आवेदक को उक्त प्रकरण में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है कि वह आगामी दिनांक 26.12.2023 को निर्धारित सुनवाई में आवश्यक रूप से उपस्थित होवें अन्यथा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी । आवेदक को नोटिस जारी किया जाए ।

उक्त प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 26.12.2023 को नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 26.12.2023 को आवेदक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय अग्रवाल तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से सुश्री प्रीति मारकम, असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) उपस्थित ।

प्रकरण के संबंध में आवेदक के मौखिक कथन निम्नानुसार है :–

01. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कारण बताओं सूचना–पत्र जारी किया है, उसमें कहीं भी कनेक्शन काटने का निर्देश नहीं दिया है ।
02. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जब भी कनेक्शन विच्छेदित करने का निर्देश देते है तो वह स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हैं ।
03. हमारे द्वारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एन0ओ0सी0 प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें सामान्य अवधि 60 दिवस होती थी, इसलिए 15 दिवस में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करना असंभव है, से संबंधित ई–मेल के माध्यम से विभाग को सूचित कर दिया गया था ।
04. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अपने पत्र में एमपीईबी के कनेक्शन देने की कार्य–प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है ।

आवेदक के कथन के संबंध में अनावेदक का मौखिक प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

आवेदक का यह कहना सही है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कारण बताओं सूचना–पत्र जारी किया है, परन्तु विभाग ने आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है, जिसके तहत नियमानुसार 15 दिवस का नोटिस जारी किया गया तथा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एन0ओ0सी0 नहीं प्राप्त होने पर करनेक्शन विच्छेदित किया गया ।

सुनवाई के अन्त में आवेदक द्वारा अनावेदक कम्पनी की ओर से दिनांक 20.12.2023 की सुनवाई में प्रस्तुत प्रत्युत्तर का जवाब लिखित में प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार है :–

01. अपीलार्थी को अनावेदक ने औद्योगिक प्रयोजन हेतु एक विद्युंत कनेक्शन दिनांक 02.02.2020 को प्रदान किया था ।
02. कनेक्शन देते समय अनावेदक ने अपीलार्थी से प्रदूषण निवारण मंडल की अनापत्ति नहीं मांगी थी, क्योंकि सामान्यतः अनापत्ति तभी मांगी जाती है जब प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा आपत्ति उठाई जाए ।
03. अपीलार्थी मेसर्स संध्या पैकेजिंग के संबंध में अनावेदक को नोटिस प्राप्त हुआ था इसके साथ ही ग्रामीणों से भी शिकायत प्राप्त हुई थी ।
04. नोटिस एवं शिकायत प्राप्त होने पर अपीलार्थी को अनावेदक ने प्रदूषण निवारण मंडल से एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का नोटिस जारी किया था ।
05. नोटिस की अवधि समाप्त होने पर भी प्रदूषण निवारण मंडल का अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर अनावेदक ने विद्युत कनेक्शन दिनांक 09.05.2022 को विच्छेदित कर दिया था ।
06. अपीलार्थी ने कहा कि उसने अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था किन्तु उसका कोई भी योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका ।
07. अनावेदक द्वारा एन0ओ0सी0 प्राप्त होने पर अपीलार्थी का विद्युत कनेक्शन दिनांक 19.07.2022 को जोड़ दिया था । अपीलार्थी का कहना है कि 19.07.2022 को कनेक्शन नहीं जोड़ा गया था पर वह उसके सपोर्ट में कोई भी योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका ।
08. अपीलार्थी का कहना है कि प्रदूषण निवारण मंडल का यह नियम है कि वह 60 दिवस में एन0ओ0सी0 प्रदान करता है । इस पर अनावेदक का कहना है कि यदि आवेदक का कनेक्शन एन0ओ0सी0 प्राप्त करने की योग्यता रखता था तो उसे कनेक्शन प्राप्त करते समय ही एन0ओ0सी0 प्राप्त कर लेना था । अनावेदक ने यह कथन किया कि उनके द्वारा नियमानुसार 15 दिवस का नोटिस जारी किया था ।

05. उभयपक्षों द्वारा किये गये कथनो तथा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

1. अपीलार्थी को अनावेदक ने औद्योगिक प्रयोजन हेतु एक विद्युंत कनेक्शन दिनांक 02.02.2020 को प्रदान किया था ।
2. कनेक्शन देते समय अनावेदक ने अपीलार्थी से प्रदूषण निवारण मंडल की अनापत्ति नहीं मांगी थी, क्योंकि सामान्यतः अनापत्ति तभी मांगी जाती है जब प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा आपत्ति उठाई जाए ।
3. नोटिस एवं शिकायत प्राप्त होने पर अपीलार्थी को अनावेदक ने प्रदूषण निवारण मंडल से एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का नोटिस जारी किया था ।
4. नोटिस की अवधि समाप्त होने पर भी प्रदूषण निवारण मंडल का अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर अनावेदक ने विद्युत कनेक्शन दिनांक 09.05.2022 को विच्छेदित कर दिया था ।
5. अनावेदक द्वारा एन0ओ0सी0 प्राप्त होने पर अपीलार्थी का विद्युत कनेक्शन दिनांक 19.07.2022 को जोड़ दिया था । अपीलार्थी का कहना है कि 19.07.2022 को कनेक्शन नहीं जोड़ा गया था पर वह उसके सपोर्ट में कोई भी योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका ।
6. अनावेदक ने अपीलार्थी को 15 दिवस का नोटिस विद्युत नियमों में प्रावधान के अनुसार जारी किया था, जो कि सही प्रतीत होता है ।

06. प्रकरण में की गयी उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षो के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

(1) अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है ।

(2) अनावेदक वितरण कंपनी को यह निर्देशित किया जाता है कि अपने सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशित करें कि भविष्य में प्रदूषण निवारण मंडल से नोटिस/आदेश प्राप्त होने पर उनसे स्पष्ट कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त करें, तब तक कार्यवाही नहीं करें।

07. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल